

**कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा (छ0ग0) एवं पदेन उपसचिव छ0ग0 शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग**

00 अधिसूचना 00

क्रमांक / 11835 / भू-अजेन / 2022

कोरबा दिनांक 03 / 10 / 2022

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के लिये कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी 2021 को प्रकाशित किया गया था। कोरोना (COVID-19) महामारी के कारण लॉकडाउन होने के कारण निर्धारित समयावधि दिनांक 19 फरवरी 2022 तक धारा 19 के प्रकाशन की कार्यवाही नहीं किया जा सका है। अतएव अधिनियम की धारा 19 उपधारा (7) में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार एक वर्ष समयवृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है।

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / प.ह.नं.	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	पोड़ी उपरोड़ा	केनाडांड 46	46	2.288	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा(छ0ग0)	रामपुर जलाशय योजना अंतर्गत बांयी तट नहर निर्माण हेतु

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पोड़ी उपरोड़ा


(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर,
जिला-कोरबा
एवं पदेन उप सचिव छ.ग.शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग